

# न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

13/2021

14-1-2021

प्रकरण संख्या  
प्रविष्टि दिनांक

साबिर पुत्र गवरू उर्फ मोहम्मद शरीफ जाति मुसलमान निवासी अलीगढ़ तहसील  
उनियारा जिला - टोंक राज०

-अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार उनियारा जिला- टोंक

-रेस्पोजेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय  
तहसीलदार उनियारा दिनांक 6-1-2021 मिसल नम्बर 1245/2020

उपस्थिति : (1) श्री विजय बहादुर अभिभाषक अपीलान्ट  
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक रेस्पोजेण्ट


निर्णय


दिनांक 20-10-2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा ने अपने निर्णय दिनांक 6-1-2021 के द्वारा अपीलान्ट को चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1148/2134 वाके ग्राम उखलाना में 0.06 है० रकबे पर बाउन्ड्री बनाकर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने 24/रूपये की पेनल्टी कायम कर तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार उनियारा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोजेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट को तहसीलदार उनियारा द्वारा निर्णय से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया है ओर नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत् व्यक्तिशः तामिल नही कराई गई है। अपीलान्ट को बिना सुने निर्णय एकतरफा में पारित किया गया है। अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है पटवारी द्वारा दुर्भावना पूर्वक बिना मौके का सीमाज्ञान किये अपीलान्ट के विरुद्ध रिपोर्ट पेश की है। अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर नहीं दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौका निरीक्षण नहीं किया ओर न ही वास्तविक मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार उनियारा को स्वयं मौके पर जाकर मौके का निरीक्षण कर यह भली भांति साबित होने के बावजूद कि उक्त



  
जिला कलेक्टर  
टोंक

भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा है अथवा नहीं ? कब्जा साबित होने के उपरान्त ही निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। अपीलान्ट का मोके पर कोई कब्जा नहीं है भूमि खाली पड़ी हुई है। अपीलान्ट के अभिभाषक का यह भी कथन है कि तहसीलदार उनियारा ने अपने निर्णय में यह कही भी अंकित नहीं किया कि अपरीलान्ट द्वारा उक्त खसरा नम्बर पर किस जगह पर अतिक्रमण किया है ना ही सीमायें अंकित की हैं ना ही अतिक्रमण का नापचोप अंकित किया है। बिना किसी ठोस साक्ष्य व सबूत के सिविल कारावास जेसे कठार दण्ड से दण्डित कर कानूनी भूल की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दोषपूर्ण होने से निरस्तनीय है।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। विवादित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1148/2134 वाके ग्राम उखलाना में 0.06 है0 पर बाउन्ड्री बना कर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलान्धीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्ट द्वारा चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1148/2134 वाके ग्राम उखलाना में 0.06 है0 पर बाउन्ड्री बना कर अतिक्रमण किया है। जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानो से सिद्ध है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 4-10-2021 को न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मैंने विवादित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1148/2134 वाके ग्राम उखलाना में 0.06 है0 पर से अपना कब्जा भौतिक रूप से हटा लिया है, ओर मैं भविष्य में उक्त भूमि अथवा सरकारी भूमि पर पुनः कब्जा नहीं करूंगा। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना <sup>अनिष्ट</sup> है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा का निर्णय दिनांक 6-1-2021 इस शर्त के साथ अपास्त किया जाता है कि यदि अपीलान्ट पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20-10-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



च-५२७  
(चिन्मयी गोपाल)  
जिला लेकलेक्टर  
टोक